

अनुलग्नक :- 'क'

“बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” की धारा 9 के आलोक में निम्नवत् स्थानीय

प्राधिकार की धोषणा एवं उनके कार्य एवं दाखिल का निर्धारण

स्थानीय प्राधिकार

1. ग्रामीण क्षेत्र :- (क) ज़िला परिषद - क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए
- (ख) पंचायत समिति - क्षेत्राधीन मध्य विद्यालयों के लिए
- (ग) ग्राम पंचायत - क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालयों के लिए

2. शहरी क्षेत्र :- नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत - क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए

क्र० सं०	अधिनियम /नियम की धारा	धारा 9 के अधीन कार्य/दायित्व	ज़िला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत
1.	धारा 9(क) और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।	प्रत्येक बच्चा को नियुक्ति के लिए तैयार बालपंजी के अनुसार बच्चों के नामांकन का अनुश्रवण करना एवं शिक्षा विभाग को इसके आवश्यक सहयोग करना।	जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बच्चों के लिए संधारित बालपंजी के अनुसार मध्य विद्यालयों में बालपंजी के अनुसार 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का नामांकन कराना, आवश्यकता 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का नामांकन कराना, आवश्यकता होने पर भाता/पिता एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नामांकन कराने हेतु प्रेरित करना।	> अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बच्चों के लिए संधारित बालपंजी के अनुसार मध्य विद्यालयों में बालपंजी के अनुसार 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का नामांकन कराना, आवश्यकता होने पर भाता/पिता एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नामांकन कराने हेतु प्रेरित करना।	> अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बच्चों के लिए संधारित बालपंजी के अनुसार मध्य विद्यालयों में बालपंजी के अनुसार 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का नामांकन कराना, आवश्यकता होने पर भाता/पिता एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नामांकन कराने हेतु प्रेरित करना।	> अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बच्चों के लिए संधारित बालपंजी के अनुसार मध्य विद्यालयों में 25% कोटे के अधीन शिक्षा के अधिकार के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कोटे के अधीन

2.	धारा 9(ख)	<p>कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p>
3.	धारा 9(ग)	<p>धारा 6 ने यथावौनिहित असपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर यथाशीघ्र नियम करना।</p> <p>विद्यालयों की सुविधा का प्रयास करना। उच्चाधिकारी को मौंग पत्र भेजना।</p> <p>पड़ोस के मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, किसी लिए कार्रवाई करना।</p> <p>कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिला लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो,</p>
		<p>अधीन कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>प्राथमिक विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p> <p>विद्यालयों की मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार विद्यालयों की सुविधा का प्रयास करना। उच्चाधिकारी को मौंग पत्र भेजना।</p> <p>पड़ोस के मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना।</p> <p>कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिला लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो,</p> <p>(i) कमज़ोर एवं अभिवृच्चि वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) उक्त कोटि के बच्चे विद्यालय के सभी शैक्षिक</p> <p>अधीन कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>प्राथमिक विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p> <p>विद्यालयों की मुफ्त एवं अनिवार्य विद्या नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रयास करना। उच्चाधिकारी को मौंग पत्र भेजना।</p> <p>पड़ोस के मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना।</p> <p>(i) कमज़ोर एवं अभिवृच्चि वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) उक्त कोटि के बच्चे विद्यालय के सभी शैक्षिक</p> <p>अधीन कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p> <p>विद्यालयों में 25% कोटे के अधीन कमज़ोर एवं अभिवृच्चि समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p>

इसे सुनिश्चित करना।		भाग ले, इसके लिए विद्यालय के प्रयास में सहयोग करना।	
(iii) विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए रणनीति बनाना।		एवं गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों में भाग ले, इसके लिए विद्यालय के प्रयास में सहयोग करना।	
4.	धारा 9 (घ)	<p>धीमाधीन निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ऐसी गति में, जो विहित की जाए, अभिलेख संधारण करना।</p>	<p>विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना निर्माण में मदद करना।</p> <p>(i) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में याम पत्रायत के सहयोग से 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार करना।</p> <p>(ii) समय-समय पर बालपंजी को अधृतन करना।</p> <p>(iii) निःशर्क बच्चों की जानकारी अलग से संधारित करना।</p> <p>(iv) अनाथ एवं किसी खतरे से प्रभावित बच्चों की अलग जानकारी रखना।</p> <p>(v) विस्थापित/मौसमी बच्चों की अलग से जानकारी रखना।</p>
5.	धारा 9 (ङ)	<p>धीमाधीन निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश एवं उपरिष्ठित हो इसे विनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पुरी हो, इसे सुनिश्चित करना।</p>	<p>(i) धीमाधीन विद्यालय द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से नहीं किया जाए, इसे देखना।</p> <p>(ii) छिजित (Dropout) बच्चे एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के मिलकर उन्हें बच्चों को</p> <p>(i) धीमाधीन विद्यालय द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार किया जाए, इसे देखना।</p> <p>(ii) छिजित (Dropout) बच्चे एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता/ अभिभावक</p>

		करना।	समय-समय पर प्रयास करना।		
7.	धारा 9 (छ)	धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।	<p>(i) विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अनामाकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन कराना।</p> <p>(ii) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं।</p> <p>(iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर में संचालित कराना।</p> <p>(iv) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना।</p> <p>(v) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।</p>	<p>(i) विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अनामाकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन कराना।</p> <p>(ii) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं।</p> <p>(iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर में संचालित कराना।</p> <p>(iv) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना।</p> <p>(v) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।</p>	<p>(i) विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अनामाकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन कराना।</p> <p>(ii) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं।</p> <p>(iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर में संचालित कराना।</p> <p>(iv) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना।</p> <p>(v) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।</p>
8.	धारा 9 (ज)	आधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी युग्मता सुनिश्चित कराना। प्रयास करना।	<p>(i) छात्र-शिक्षक अनुपात के महेनजर मध्य विद्यालयों में आदि उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास करना।</p> <p>(ii) विद्यालय एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना।</p>	<p>(i) छात्र-शिक्षक अनुपात के महेनजर शिक्षकों का विद्यालयों में नियोजित विद्यालयों में नियोजित विद्यालयों का नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई करना।</p> <p>(ii) विद्यालय एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना।</p> <p>(iii) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।</p>	<p>(i) छात्र-शिक्षक अनुपात के महेनजर शिक्षकों का नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई करना।</p> <p>(ii) विद्यालय एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना।</p> <p>(iii) विशेष समूह के बच्चों के अलग से ध्यान रखना।</p>

			बच्चों की प्रगति पर ध्यान देना।	बच्चों की प्रगति पर ध्यान देना।
10.	धारा 9 (ज)	शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।	शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिला योजना से शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त भवनों/कमरों का निर्माण कराना।	शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को प्रतिवेदित करना।
12.	धारा 9 (ट)	अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण करना।	विद्यालय विकास के कार्यों का अनुश्रवण एवं सहयोग।	शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को प्रतिवेदित करना।
		(i) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधीन मध्य विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए।	(i) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए।	(i) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधीन प्राथमिक मध्य विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए।
		(ii) शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना।	(ii) शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना।	(ii) शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
		(iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना।	(iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास संचालन सुनिश्चित करना।	(iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना।
		(iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना।	(iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना।	(iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना।
		(v) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत सुधार हो, इसपर ध्यान देना।	(v) विद्यालय विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय विकास करना।	(v) विद्यालय विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय विकास समिति को सहयोग करना।
		(vi) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत	(vi) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत	(vi) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत

			सुधार हो, इसपर ध्यान देना।	सुधार हो, इसपर ध्यान देना।
13.	धारा 9 (ड)	सैक्षणिक कैलेण्डर का निरचय करना।	स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर जिला छार तैयार वार्षिक सैक्षणिक कैलेण्डर को अनुमोदित करना।	— — — —

संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।